बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : https://bsea.bihar.gov.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

निविदाकर्ताओं के लिए नोट्स

यह निविदा वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में पैक्स निर्वाचन एवं विभिन्न सहकारी समितियों के चुनाव के लिए (1) ब्रास मेटल सील (P) एवं (2) प्लास्टिक वोटिंग स्टीक के क्रय करने से संबंधित है। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल निविदाकर्त्ता को कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) दिये जाने के पश्चात उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर सामग्रियों की आपूर्त्ति करनी होगी। निविदाकर्त्ता को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित निर्देशों (खण्ड- 1 से खण्ड- 16) और विशेष शर्तो को ध्यान से पढ़े और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही इस निविदा में भाग लेंगे। उद्धरित दरें दृढ़ एवं निश्चित होनी चाहिए। निम्नलिखित निर्देशों के अनुपालन नहीं करने पर निविदाकर्त्ता के निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। प्लास्टिक वोटिंग स्टिक- 27,000 अद्द (सताईस हजार) एवं ब्रास मेटल सील (P)- 12,000 अद्द (बारह हजार) है।

1. निविदाएं नीचे दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार दो अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जाएगी।

(i) **लिफाफा-I:** यह तकनीकी निविदा होगी। इस लिफाफे में केवल दस्तावेज का परिशिष्ट-I, अग्रधन राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट, पंजीकरण के मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, प्रोपराईटर के आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, GST नम्बर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति और परिशिष्ट-I में आवश्यक अन्य अभिलेख संलग्न रहेगा। निविदा दस्तावेज बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता **है। निविदा दस्तावेज के लिए ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, अग्रधन राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट के अतिरिक्त संलग्न किया जाना चाहिए (कृपया नीचे पैरा 16 देखें)।** इस लिफाफे में अग्रेषित पत्र आदि अन्य कोई कागजात नहीं रखना चाहिए। इस लिफाफे के शीर्ष पर ''प्लास्टिक वोटिंग स्टिक/ ब्रास मेटल सील (P) की आपूर्ति के लिए तकनीकी निविदा'' लिखा होना चाहिए और बायीं ओर निविदाकर्त्ता का पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। एक निविदादाता एक या एक से अधिक सामग्रियों के लिए निविदा दे सकते हैं। उक्त प्रत्येक सामग्री के लिए अलग-अलग लिफाफा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किया जाना चाहिए। निविदा प्रपत्र की राशि भी उक्त प्रत्येक सामग्री के लिए अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी।

(ii) **लिफाफा-II:** यह वित्तीय निविदा होगी। इस लिफाफे में केवल इस दस्तावेज की अनुसूची-I और उनके लिए प्रदान किये गये स्थानों में भरी गयी प्रस्तावित दरें शामिल होगी। अनुसूची-I, निविदाकर्त्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगी होनी चाहिए।

इस लिफाफे में अनुसूची-I के अलावा कोई अन्य कागजात नहीं रखा जाना चाहिए। इस लिफाफे के शीर्ष पर ''प्लास्टिक वोटिंग स्टिक/ ब्रास मेटल सील (P) की आपूर्ति के लिए दर बोली'' और बायीं ओर निविदाकर्त्ता का पता लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए।

(iii) ''प्लास्टिक वोटिंग स्टिक/ ब्रास मेटल सील (P) की आपूर्ति के लिए दर बोली'' लिखा हुआ लिफाफा यानि वित्तीय लिफाफा यह सुनिश्चित करने के बाद ही खोला जायेगा कि आवश्यक कागजात ''तकनीकी निविदा'' अंकित लिफाफे में संलग्न है।

(iv) निविदा उक्त सामग्रियों की आपूर्ति करने के लिए निर्धारित दरें तय करने हेतु आमंत्रित की जा रही है। उक्त सभी सामग्रियों में से प्रत्येक के लिए दरों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त प्रत्येक सामग्री के लिए सबसे कम दर वाले निविदाकर्ता L-1 को आपूर्ति करने के लिए चयनित किया जायेगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को यह अधिकार होगा कि यदि L-1 निविदाकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति गुणवत्ता योग्य एवं तय समय सीमा के अन्दर नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में L-2 निविदाकर्ता को उक्त सामग्री की आपूर्ति करने के लिए आदेश दिया जा सकता है या पुर्ननिविदा भी की जा सकती है। यह अधिकार प्राधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2. **पात्रता:** बोली के लिए यह निविदा निमंत्रण उक्त सभी सामग्रियों हेतु सभी निर्माताओं के लिए खुला है। निविदाकर्त्ता को अपने पिछले अनुभव, ऐसी सामग्रियों की निर्माण की क्षमता आदि का उल्लेख करना होगा। निविदाकर्त्ता को एक नमूने के साथ प्लास्टिक वोटिंग स्टिक/ ब्रास मेटल सील (P) की आपूर्ति के लिए अपना प्रस्ताव और दरें देनी होगी।

3. **अग्रधन राशि: निविदाकर्त्ता को निविदा में भाग लेने हेतु ₹ 5,000/- (पाँच हजार रूपये मात्र) की अग्रधन राशि ''मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना'' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। उक्त राशि वापसी योग्य (Refundable) होगी। M.S.M.E. के तहत पंजीकृत कम्पनी/ फर्मों को अग्रधन राशि से छूट होगी।**

4. **सुरक्षा राशि:** जब बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सफल निविदाकर्त्ता को कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) दे दिया जाएगा तो सफल निविदाकर्त्ता को समझौता/ अनुबंध करना होगा। समझौते/ अनुबंध के साथ उन्हें कार्यादेश के मूल्य का 5% सुरक्षा राशि के रूप में निम्न में से किसी रूप में यह जमानत राशि के रूप में रहेगी:-

(i) N.S.C. - 5 वर्ष अथवा अधिक अवधि का

(ii) 3/5 वर्ष का डाकघर सावधि जमा

(iii) अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट, फिक्सड डिपोजिट रसीद, किसी भी वाणिज्यिक बैंक का बैंकर्स चेक, मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पक्ष में जमानत राशि के रूप में गिरवी रखी जायेगी। S.S.I. (Small Scale Industries) इकाई के मामले में उन्हें कार्यादेश के मूल्य का 2% जमा करना होगा। जमानत राशि कार्य पूरा होने के बाद ही वापस की जायेगी। सामग्री 15 (पन्द्रह) दिनों में उपलब्ध न कराने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

5. **मूल्य:** निविदाकर्त्ताओं से अनुरोध है कि वे संलग्न अनुसूची-। में कार्य की पक्की और निश्चित दर उद्धरित करेंगे। दर को सभी करों, रॉयल्टी आदि जैसे GST सहित उल्लेख किया जाना चाहिए और इसमें सभी आकस्मिक शुल्क, उत्पाद शुल्क शामिल होना चाहिए। शुल्क और कर जैसा लागू हो। दरें एक यूनिट के लिए उल्लेख की जानी चाहिए।

दिनों के अवधि के भीतर या आगे के अवधि के भीतर बदल देना चाहिए। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा ऐसे हिस्से को बढ़ायी गयी है, जिसे बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा अस्वीकार कर दिया है या प्रतिस्थापित करने के लिए कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में अस्वीकृत सामग्री को प्रतिस्थापित करते हुए उसके स्थान पर नई एवं अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध करनी होगी। उपर्युक्त अवधि प्रतिस्थापन की तिथि से प्रतिस्थापित सामग्री/ वस्तुओं पर लागू होगी अन्यथा आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान करना होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ऐसी क्षति जो वहां के शर्तो के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हो सकती है।

11. **निरीक्षण:** हालांकि आपूर्तिकर्ता को निविदा के लिए आवेदन करने से पहले उपयोग और आपूर्ति की जाने वाली सामग्री, निर्दिष्ट साईट पर सामग्री की ढुलाई और किये जाने वाले कार्य की विशिष्टताओं और गुणवत्ता के बारे में खुद से संतुष्ट होना होगा।

12. **निर्धारित खंड का अनुपालन करने में विफलता:** सामग्री को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देश की पुष्टि करनी चाहिए। विनिर्देशों की पुष्टि नहीं करने वाले सामग्रियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसी अस्वीकृत सामग्रियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा ऐसी अस्वीकृत या इनकार की सूचना जारी होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के भीतर आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अपने खर्च पर हटा दिया जायेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुपालन में चूक की स्थिति में प्रेषित किसी भी अस्वीकृत सामग्री को सार्वजनिक नीलामी कर निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बिक्री की जा सकती है और बिक्री की राशि ऐसी बिक्री या नीलामी में खर्च की गई राशि की कटौती के बाद आपूतिकर्ता के खाते में शेष राशि जमा की जा सकेगी।

13. मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पास बिना कोई कारण बताये कार्य के सर्वोत्तम हित में किसी भी समय किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने या सफल निविदाकर्ताओं के बीच मात्रा वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. **निविदा की वैधता:** निविदा प्राप्ति के तिथि से 120 दिनों तक निविदा स्वीकृति और ऑर्डर देने के लिए वैध रहेगी।

15. मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का निर्णय अंतिम होगा। यदि विशिष्टताओं की व्याख्या, कीमतों की निविदा दस्तावेज अनुसूची या किसी अन्य मामले या अनुबंध के संबंध में कोई विवाद या उदासीनता उत्पन्न होती है, तो मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

16. अनुबंधों सहित निविदा दस्तावेज बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के वेबसाइट (https://bsea.bihar.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज के लिए ₹ 1,000/- का बैंक ड्राफ्ट उपर्युक्त पैराग्राफ-3 में अंकित अग्रधन राशि के अतिरिक्त संलग्न किया जाना चाहिए। उक्त राशि ₹ 1,000/- अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) है।

11.5.26

संयुक्त सचिव
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार,
पटना।

जाना चाहिए और इसमें सभी आकस्मिक शुल्क, उत्पाद शुल्क शामिल होना चाहिए। शुल्क और कर जैसा लागू हो। दरें एक यूनिट के लिए उल्लेख की जानी चाहिए।

(i) अनुसूची-। में दर्शायी गयी मात्रायें अनुमानित है। यह बढ़ या घट सकती है।

(ii) कीमते पहला ऑर्डर देने की तारीख से 120 दिन तक की अवधि के लिए वैध होगी और आपसी सहमति से इसे बढ़ाया जा सकता है।

6. **बीमा:** बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार किसी भी रूप में बीमा शुल्क का भुगतान नहीं करेगा। हालांकि आपूर्तिकर्त्ता अपनी लागत पर पारगमन में क्षति या हानि को सुनिश्चित कर सकते हैं। सामग्री के अंतिम रूप से सौंपे जाने तक परिवहन या कार्य निष्पादन के दौरान सामग्रियों की किसी भी प्रकार की हानि, चोरी या क्षति के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार जिम्मेवार नहीं होगा। अंतिम रूप से कार्य पूरा होने और वांछित स्थिति में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सामग्री सौंपने तक आपूर्तिकर्त्ता जिम्मेवार होगा।

7. **भुगतान:** बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की संतुष्टि के अनुसार सामग्री की पूरी आपूर्ति करने के बाद 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति की गई सामग्री के लिए कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यद्यपि अच्छी स्थिति में कार्य पूरा होने के बाद 30 दिनों के भीतर भुगतान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन काम पूरा होने के बाद अप्रत्याशित कारणों से भुगतान में देरी से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

8. **समापन का समय:** सभी प्रकार से कार्य पूरा होने की अवधि लिखित कार्यादेश की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर है। इस समय-सारणी का अनुपालन करते हुए विफल रहने पर प्रतिदिन समझौते/ अनुबंध के मूल्य का 01 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ तक कि कार्यादेश रद्द भी किया जा सकता है। सुरक्षा राशि (जमानत राशि) जब्त भी की जा सकती है और फर्म को काली सूची में डाला भी जा सकता है।

9. **पैकिंग:** सामग्रियों की आपूर्ति ऐसे पैकेटो में की जाएगी जिनमें 100 (एक सौ) से अधिक न हों। परिवहन के दौरान चुनाव सामग्री की किसी भी क्षति के लिए आपूर्तिकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के कार्यालय में सामग्री अच्छी स्थिति में प्राप्त होने तक यह आपूर्तिकर्त्ता की अंतिम जिम्मेदारी होगी। आपूर्तिकर्त्ता निदेशानुसार अपने खर्च पर इस कार्यालय में आपूर्ति की गई सामग्रियों का उचित भंडारण सुनिश्चित करेगा। आपूर्तिकर्त्ता किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त भुगतान का हकदारी नहीं होगा।

10. **गारंटी/ वारंटी:** सफल निविदाकर्त्ता को यह घोषणा करनी होगी कि इस अनुबंध (जो बाद में की जाएगी) के तहत चुनाव सामग्री निर्धारित गुणवत्ता की होगी और कारीगरी अनुसूची-1 में उल्लिखित विशिष्टताओं और विवरणों के अनुसार होगी। निविदाकर्त्ता को यह गारंटी देनी होगी कि सामग्री निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न किये गए नमूने की पुष्टि करती है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार उस खेप को अस्वीकार करने का हकदार होगा जो विनिर्देश की पुष्टि नहीं करता है और यह सामग्री की अस्वीकृति आदि से संबंधित आपूर्तिकर्त्ता के जोखिम पर होगा। आपूतिकर्त्ता को यदि ऐसा करने को कहा जाता है, तो उसे सात (07)

विशेष शर्तें

1. (i) निविदाएं निर्माताओं/ लघु उद्योग उद्यमियों (प्रोपराईटर/ साझीदार/ प्रबंध निदेशक आदि) द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निबंधित डाक से अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी। निश्चित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

   (ii) निविदाकर्ता को निविदा जमा करने से पहले काम की मात्रा का आकलन करना चाहिए और आवश्यक गुणवत्ता और आपूर्ति की समय सीमा के बारे में खुद को संतुष्ट होना चाहिए।

2. कार्य स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार एवं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा।

3. सक्षम प्राधिकार के पास अपने चरण के शेड्यूल या कार्य निष्पादन को अस्वीकार करने, बदलने, संशोधित करने या आपूर्तिकर्ता पर थोपने की शक्ति होगी, जो आपूर्तिकर्ता पर बाध्यकारी होगा। प्राधिकार को कार्य की प्रगति पर नजर रखने का अधिकार होगा और कार्य की आनुपातिक प्रगति में किसी भी कमी की स्थिति में आपूर्तिकर्ता समझौते के खंड के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

4. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार कार्य के निष्पादन से पहले या उसके दौरान कार्य के विनिर्देशों को बदलने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसके परिणामस्वरूप शामिल कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि या कमी होती है।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कार्यादेश जारी करने में देरी के कारण या अनुमोदित विनिर्देश में किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की प्राप्ति न होने के कारण या किसी कारण से निलंबन या कार्य के कारण किसी भी क्षति या किसी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन सक्षम प्राधिकार द्वारा आनुपातिक समय सीमा तक देरी की अनुमति दी जा सकती है, जहां ऐसी देरी अपरिहार्य समझी जाती है।

6. श्रम, हड़ताल, परिवहन आदि के कारण किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बाढ़ या किसी अन्य अप्रत्याशित कारण से कार्य में हुए किसी भी नुकसान या मुआवजे के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

8. तय अवधि में कार्य पूरा करना होगा।

9. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार उस कार्यशाला का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जहां सामग्री निर्मित या तैयार की जाती है।

10. निविदा पर निविदाकर्ता का पूरा नाम और पता हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि दिए गए पते पर भेजा गया पत्र उस तक नहीं पहुंचता है या बिना वितरित वापस लौट आता है, तो यह निविदाकर्ता की जिम्मेवारी होगी। यदि पत्र वापस नहीं लौटता है तो यह माना जाएगा कि पत्र डाकघर में पोस्ट होने के बाद निविदाकर्ता तक पहुंच गया है। यदि निविदा किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो उस पर फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

11. आपूर्तिकर्ता कारीगर मुआवजा अधिनियम या बिहार सरकार और भारत सरकार के अन्य सभी राज्य अधिनियम या नियमों से उत्पन्न होने वाले सभी करों और मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। ऐसी किसी भी देनदारी के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

12. मुख्य चुनाव पदाधिकारी और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी विवाद या अनसुलझे दावे, मतभेद या गलतफहमी के कारण बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष के संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के खिलाफ ब्याज या क्षति का कोई दावा नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आपूर्तिकर्ता की ओर से किसी अपरिहार्य देरी के संबंध में कार्यालय को आवधिक या अंतिम भुगतान करने में या किसी अन्य संबंध में भी किसी प्रकार के ब्याज या क्षति का दावा नहीं किया जा सकेगा।

13. प्रस्ताव बनाने वाले सभी कागजात, निविदाकर्ता द्वारा डाउनलोड किए गए और जमा किए गए निविदा दस्तावेज, समझौते का हिस्सा बनेगे और इसलिए इसे उद्धरित दरों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित बरकरार रखा जाना चाहिए और कुछ भी अलग नहीं किया जाना चाहिए।

14. चूंकि यह चुनाव से संबंधित कार्य है, इसलिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के कार्यालय से सामग्री प्राप्त होने तक आपूर्तिकर्ता को पूरी गोपनीयता बनाए रखनी होगी।

15. आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्ति की गई वस्तुओं में से कोई भी अतिरिक्त टुकड़ा आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं रखा जाएगा।

16. आवेदन पर अन्य कोई भी जानकारी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

17. सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर समझौते की शर्तो से परे किए गए किसी भी कार्य के लिए भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार किया जाएगा।

18. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पास बिना किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने और कार्य को दो या दो से अधिक निविदाकर्त्ताओं के बीच वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह निविदाकर्त्ताओं पर बाध्यकारी होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार (उनके प्रदर्शन के अनुसार) मात्रा को बढ़ाने या घटाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इसके विरूद्ध किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. फर्म को किसी भी राज्य/ केन्द्र सरकार के किसी भी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए।

20. सशर्त निविदाएं पूर्णतः अस्वीकार की जा सकती है।

11.5.26

संयुक्त सचिव

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार,

पटना।

BSEA dt. 09.04.2026 RAGHU

परिशिष्ट–1

1. फर्म/ कंपनी/ संगठन के प्रोपराईटर का नाम:
2. पता:

   (i) पंजीकृत कार्यालय

   (ii) निर्माता/ संगठन का परिसर:
3. संलग्न अग्रधन राशि का विवरण (ड्राफ्ट संख्या सहित):
4. (i) क्या GST संख्या आदि से छूट दी गयी है, यदि हां जो कृपया विवरण दें (निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगी ऐसे प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

   (ii) GST संख्या और तिथि (छायाप्रति संलग्न करें):
5. प्रोपराईटर का आधार संख्या (छायाप्रति संलग्न करें):
6. पैन संख्या (छायाप्रति संलग्न करें):
7. यदि फर्म एक एस०एस०आई० इकाई है. बिहार एस०एस०आई० पंजीकरण संख्या और तिथि (मूल पंजीकरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
8. फर्म/ कम्पनी के स्थापना का वर्ष:
9. (i) निविदाकर्ता की क्षमता, संसाधनशीलता और वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण।

   (ii) प्रत्येक कार्य के Work Order की छायाप्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित वित्तीय परिव्यय और पूर्ण किए गए कार्य गति और दक्षता के साथ किए गए पाँच महत्वपूर्ण कार्यों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट।

   (iii) ऐसे परिमाण के कार्य को निष्पादित करने के लिए निविदाकर्ता के पास उपलब्ध मशीनों और तकनीकी कर्मियों की एक सूची।

   (iv) यदि निविदाकर्ता स्वामित्व वाली फर्म नहीं है, तो निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम निकास द्वारा प्राधिकरण की मूल प्रति।

टिप्पणी:

(i) मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(ii) तकनीकी निविदा लिफाफे में परिशिष्ट–। और जैसा कि निविदा दस्तावेज में मांगे गये कागजात के अलावा कोई अन्य कागजात नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही ऐसा कुछ भी न लिखें जो वांछित न हो।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि: (प्रोपराईटर/ प्राधिकृत हस्ताक्षर)

अनुसूची-।

दर बोली

निविदाकर्ता का नाम एवं पताः ....

....

....

क्र० सं०	कार्य का नाम (पैक्स निर्वाचन 2026-27 एवं 2027-28 एवं विभिन्न सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु)	विशिष्टता	मात्रा	निविदाकर्ता द्वारा उद्धरित की जाने वाली दर (प्रत्येक इकाई के लिए)
1	2	3	4	5
1	प्लास्टिक वोटिंग स्टिक	(i) एच०डी०पी०ई० का प्लास्टिक (उच्च धनत्व पॉलीथीन) (ii) दूधिया सफेद रंग प्लास्टिक (iii) लंबाई 85 मिमी., चौड़ाई 12 मिमी., ऊँचाई 12 मिमी. (iv) छड़ी के दोनों सिरों पर स्वास्तिक चिन्ह (卐) उत्कीर्ण।	27,000	
2	ब्रास मेटल सील (P)	(i) 1 सेमी० त्रिज्या (Radius) (ii) 2 मिमी० मोटाई (Thickness)	12,000	

नोट- उपर्युक्त मद का नमूना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान देखा/ प्राप्त किया जा सकता है।

मैं/ हम ''निविदाकर्ताओं को नोट्स'' और ''विशेष शर्तो'' में निर्धारित शर्तो के लिए बिना शर्त सहमत हूँ/ हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रोपराईटर/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

स्थानः

तिथिः